

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)

Friday, 06th March, 2026/ 15, Phalgun, 1947 (Shaka)

No. 37

Hon'ble Members are hereby informed that as per directions of Hon'ble Speaker today entry to the Assembly precincts shall be allowed only to the Hon'ble Members of the Committee of Privileges besides the Hon'ble Speaker, Hon'ble Deputy Speaker, Hon'ble Chief Minister/Ministers, Hon'ble Chief Whip and the Hon'ble Leader of Opposition in view of the fact that the Committee of Privileges is scheduled to hear a very sensitive matter of national importance today; and as there is a serious threat and apprehension of disturbances due to the posts in the media by some members.

Further Hon'ble Speaker has also directed that any member/persons indulging in any activity in the Assembly precincts which could hamper or disturb the functioning of the Assembly Secretariat or Committee proceedings shall be subjected to privilege and contempt proceedings.

Hon'ble Members are therefore requested to co-operate and comply with the directions of the Hon'ble Speaker.

**Ranjeet Singh
Secretary**

**विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 06 मार्च, 2026/ 15, फाल्गुन, 1947 (शक)

सख्या- 37

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज विधानसभा परिसर में प्रवेश केवल विशेषाधिकार समिति के माननीय सदस्यों को ही अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रिगण, माननीय मुख्य सचेतक तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी प्रवेश की अनुमति होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि आज विशेषाधिकार समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक अत्यंत संवेदनशील मामले की सुनवाई निर्धारित है। साथ ही, कुछ सदस्यों द्वारा मीडिया में किए गए पोस्ट के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होने की गंभीर आशंका और खतरा भी है।

इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई सदस्य/व्यक्ति विधानसभा परिसर में ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न पाया जाता है जिससे विधानसभा सचिवालय के कार्य या समिति की कार्यवाही में बाधा या व्यवधान उत्पन्न हो, तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे माननीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करें और सहयोग प्रदान करें।

**रंजीत सिंह
सचिव**